न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः- **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या- 102/2021

वादी :-

1. बाबुलाल पुत्र लच्छाराम जाति सीरवी राठौड निवासी बेरा चौथजी का बाडिया बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. आनन्दराम पुत्र डावरराम जाति सीरवी राठौड निवासी बेरा चौथजी का बाडिया बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः-वादी - श्री बेनाराम पटेल एडवोकेट।

प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

प्रतिवादी सं. 2 सरकारी पेरोकार।

<u>निर्णय</u> **दिनांकः-** 26/08/25

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ग्राम बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर का मूल निवासी एवं भारतीय नागरिक है। प्रतिवादी ग्राम बिलाडा तहसील बिलाड़ा जिला-जोधपुर का मूल निवासी एवं भारतीय नागरिक हैं। वादी की खरीदसुदा जमीन ग्राम बिलाड़ा पुराना चक संख्या-3 एवं नया चक संख्या-4 में निम्न विवरण की आई हुई हैं ग्राम बिलाड़ा के बिलाड़ा चक संख्या-4 पटवार क्षेत्र चक संख्या-4 भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र, बिलाड़ा के खेत खसरा संख्या-4251 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा चाई जमीन आई हुई हैं। जिसमें से 05 बिस्वा जमीन कुंआ खुदवाने के लिए खरीद की हैं। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि वादी ने दिनांक 19/09/1992 को प्रतिवादी आनन्दराम से जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा खेत खसरा संख्या-4251 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा में से 05 बिस्वा जमीन कुंआ खुदवाने के लिए खरीद की हैं, तब से लगाकर आज दिनांक तक वादी खातेदार एवं काश्तकार की हैसियत से उपयोग एंव उपभोग कर रहा हैं। विवादग्रस्त जमीन दिनांक 19/09/1992 को खरीद करने के पश्चात् सब-रजिस्ट्रार, बिलाड़ा ने दिनांक 19/09/1992 को पुस्तक संख्या-1, जिल्द संख्या-49, पृष्ठ संख्या-27 के कम संख्या-793/92 पर पंजीबद्ध किया गया। तब से लगाकर आज दिनांक तक वादी काबिज हैं। विवादग्रस्त खेत खसरा संख्या-4251 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा में से वादी ने 05 बिस्वा जमीन खरीद की हैं उक्त जमीन वादी के पैतृक भूमि 4253 के चिपती आ हुई हैं यानि कि वादी प्रतिवादी ने वादी को 05 बिस्वा जमीन उत्तर दिशा में वादी के खातेदारी जमीन के चिपती हुई दी हैं। जो कि आज दिनांक तक काबिज हैं। यानि कि वक्त खरीद से आज दिनांक तक लगातार वादी काबिज हैं। जब विवादग्रस्त जमीन का बैचाननामा होने के पश्चात् उनके फोटोप्रतियां हल्का पटवारी को नामान्तरकरण करने हेतु दी, परन्तु नामान्तरकरण की कार्यवाही हल्का पटवारी नही की। अतः यह दावा बाबत् घोषणा का प्रस्तुत हैं। विवादग्रस्त जमीन खेत खसरा संख्या-4251 रकबा 05 बिस्वा वादी प्रतिवादी से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-विलेख से दिनांक 19/09/1992 को खरीद की, व उस वक्त हीं प्रतिवादी ने वादी की खरीदसुदा जमीन पर पूर्ण प्रतिफल लेकर कब्जा सुपुर्द किया था जो कि आज दिनांक तक वादी अपनी खरीदसुदा जमीन पर बतौर मालिक की हैसियत से काबिज हैं। ऐसी स्थिति में वादी अपनी 05 बिस्वा जमीन राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने का अधिकारी हैं।

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

अतः यह दावा बाबत् घोषणा का प्रस्तुत हैं। वादी विवादग्रस्त जमीन पर यानि कि खेत खसरा संख्या-4251 में से 05 बिस्वा जमीन वादी राजस्व रेकर्ड में अपने नाम इन्द्राज करवाने के अधिकारी हैं। अतः यह दावा रेकर्ड दुरुस्ती का प्रस्तुत है। बिनाय दावा विवादग्रस्त जमीन दिनांक 19/09/1992 को खरीद की तब, जब प्रतिवादी ने वादी को विवादग्रस्त जमीन का पूर्ण प्रतिफल देकर वादी को सुपुर्द किया तब, जब वादी ने हल्का पटवारी को राजस्व रेकर्ड में बैचाननामा माफिक इन्द्राज हेतु बैचाननामा की फोटोप्रतियां दी जब प्रतिवादी ने माह जनवरी, 2021 में आनाकानी की तब बमुकाम बिलाड़ा में पैदा हुआ।

अन्त में निवेदन है कि घोषणा की डिकी बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादी इस अमर की पारित फरमाई जावें कि ग्राम बिलाड़ा के पूर्व चक संख्या-03 एंव नया चक संख्या-04 के खेत खसरा संख्या-4251 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा में से 05 बिस्वा जमीन का वादी को खातेदार एव काश्तकार घोषित किया जावें। रेकर्ड दुरूस्ती की डिकी बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादी की इस अमर की पारित फरमाई जावें कि ग्राम बिलाड़ा के पूर्व चक संख्या-03 एंव नया चक संख्या-04 के खेत खसरा संख्या-4251 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा में से 05 बिस्वा जमीन का वादी को राजस्व रेकर्ड में नाम अंकन करने का आदेश फरमावें। इसी अनुसार रेकर्ड दुरूस्त फरमाया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 को उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी सं. 2 सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खरीद की गई भूमि ग्राम बिलाडा चक नं. 4 के खसरा नंबर 4251 रकबा 2-00 बीघा आई हुई है। जिसमें से 5 बिस्वा जमीन कुआं खोदने हेतु क्रय की गई थी। यह भूमि वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 आनन्दराम से खरीद की गई है। वादग्रस्त भूमि दिनांक 19.9.1992 को खरीद करने के पश्चात उपपंजीयक बिलाडा में रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसकी पु.सं. 1 जि.सं. 49 पृ.सं. 27 के कृ.सं. 793/92 पंजीबद्ध है खरीद से लेकर आज दिनांक तक कब्जा वादी का है। वादी द्वारा खसरा नंबर 4251 रकबा 2-00 बीघा में से 5 बिस्वा जमीन अपनी पैतृक भूमि खसरा नंबर 4253 के चिपती हुई खरीदी है जिस पर कब्जा वादी का ही है। पद सं. 5, 6, 7 व 8 का जवाब वादी स्वयं साबित करें। वादी की ईस्तदुआ है कि सन् 1992 में Fragment लागू होने से उनकी खरीद की गई भूमि का नामा. नहीं भरा गया है जो अब भरवाया जाने का आदेश फरमावें। बैचाननामें के साथ सम्मिलित नजरी नक्शा अनुसार वादी आज भी मौके पर काबिज है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के खरीदसुदा भूमि खसरा नंबर 4251 रकबा 2-00 में से 5 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर अगर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया जाता है तो भूमिधारी को कोई आपति नहीं है। प्रतिवादी की ओर से दावा का खण्डन नहीं होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र बाबुलाल पुत्र लच्छाराम तथा आनन्दराम पुत्र डावरराम डी.डब्लू द्वारा पेश किया गया।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्ष 1 विवादग्रस्त जमीन की जमाबंदी , प्रदर्ष 2 रजिस्टर्ड बैचाननामा आदि प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन करने पर पाया कि राजस्व ग्राम बिलाडा चक 4 के खसरा नंबर 4251 खातेदार आनन्दराम पुत्र डावरराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है।

खातेदार आनन्दराम पुत्र डावरराम द्वारा बैचाननामा 19.09.1992 को बाबुलाल पुत्र लछाराम के पक्ष में निष्पादित किया गया जिसके अनुसार प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 4251 रकबा 2 बीघा में से 5 बिस्वा उतर तरफ कुआं खुदवानें हेतु वादी को बैचान की गई। किन्तु सन् 1992 में Fragment लागू होने के कारण वादी के पक्ष नामान्तरकरण नहीं भरा गया। तहसीलदार बिलाडा द्वारा वादी का वादग्रस्त जमीन पर खरीद से लेकर आज दिनांक कब्जा होना बताया गया जो वादी की पैतृक भूमि खसरा नंबर 4253 के चिपती हुई खरीदी होना बताया। तहसीलदार बिलाडा द्वारा वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु सहमति प्रदान की है। वादी का दावा डिक्री किये जाने योग्य है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम बिलाडा चक 4 के खसरा नंबर 4251 रकबा 2-00 में से 5 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 26/04/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादी :- **बनाम** **प्रतिवादीगण** :-
बाबुलाल आनन्दराम वगैरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :- **102/2021**

निर्णय **दिनांक** :- 26/08/23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री बेनाराम पटेल अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी सं. 2 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम बिलाडा चक 4 के खसरा नंबर 4251 रकबा 2-00 में से 5 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - **मुबलिग** - **बाबत्** -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा